राजस्थान सरकार का निर्णय

[1][इस प्रश्न की जाँच की गई है कि क्या एक सामान्य-वार्षिक-वेतन-वृद्धि वास्तविक दिनांक को, जिस दिन से वह अर्जित एवं देय होती है, की बजाय उस माह की प्रथम तारीख को स्वीकार करनी चाहिये।

राज्यपाल महोदय ने आज्ञा की है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि, जिस माह में वह साधारण नियमों एवं वेतन-वृद्धि को नियमित करने वाले आदेशों के अधीन अर्जित होती है, उस माह की प्रथम तारीख को स्वीकार की जा सकती है।

यह आदेश 1 अप्रैल, 1974 से प्रभावी होंगे।

स्पष्टीकरण

[2][1 वित्त विभाग की ऊपर उल्लिखित विषय पर आज्ञा सं. एफ. 1(31) वि.वि.(ग्रुप-2)/74, दिनांक 23 जुलाई 1974 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। कुछ स्थानों से उक्त आज्ञा की क्रियान्विति के बारे में सन्देह उत्पन्न किये गये हैं। अतः निम्नलिखित विवरण, सन्देहों के बिन्दुओं और उनके स्पष्टीकरण के लिए स्पष्ट किये जाते हैं।

संदेह बिन्दु	स्पष्टीकरण
1. यदि कोई कर्मचारी माह की प्रथम तारीख को अवकाश पर हो तो उसकी वेतन-वृद्धि कैसे नियमित की जायेगी।	एक कर्मचारी अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त करता है न कि कर्तव्य वेतन तथा एक वेतन-वृद्धि जो अवकाश-काल में देय होती है, वह अवकाश अवधि में आहरित नहीं की जा सकती है। अतः ऐसे मामले में अवकाश से लौटने पर, कार्यभार सम्भालने की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा।
2. ऐसे मामले में जहाँ कर्मचारी के बिना वेतन अवकाश पर जाने पर, जो वेतन-वृद्धि के लिए नहीं गिना जाता, वेतन-वृद्धि स्थगन कैसे नियमित किया जायेगा।	साधारण वेतन-वृद्धि का स्थगन वर्तमान नियमों और आज्ञाओं के आधार पर किया जायेगा। यदि स्थगित वेतन-वृद्धि महीने की किसी तारीख को देय होती है तो वह उस महीने की प्रथम तारीख को स्वीकृत की जायेगी।

1. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1(31) वि.वि.(ग्रुप-2)/74, दिनांक 23.7.1974 द्वारा जोड़ा गया।
2. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1(31) वि.वि.(ग्रुप-2)/74, दिनांक 18.9.1974 द्वारा जोड़ा गया।

[4]**स्पष्टीकरण 1**—वित्त विभाग की आज्ञा दिनांक 23 जुलाई, 1974 (राजकीय निर्णय संख्या-2) की ओर से इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया जाता है। कुछ स्थानों से इन आज्ञाओं की क्रियान्विति के बारे में सन्देह उत्पन्न किए गए हैं। निम्नलिखित विवरण, सन्देहों के बिन्दुओं और उनके स्पष्टीकरण के लिए स्पष्ट किये जाते हैं—

(1) यदि कोई कर्मचारी माह की पहली तारीख को अवकाश पर हो तो उसकी वेतन-वृद्धि कैसे नियमित की जायेगी।

(1) एक कर्मचारी अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त करता है न कि कर्त्तव्य-वेतन तथा एक वेतन-वृद्धि जो अवकाश-काल में देय होती है, वह अवकाश अवधि में आहरित नहीं की जा सकती है। अतः ऐसे मामले में अवकाश से लौटने पर, कार्यभार सम्भालने की तिथि से वेतन-वृद्धि का लाभ दिया जावेगा।

---

1. वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ. 1 (39) वि.वि.(ग्रुप-2)/78 दिनांक 21.2.1979 द्वारा जोड़ा गया।
2. वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (39) वि.वि.(व्यय-नियम) दि. 11.1.1968 द्वारा जोड़ा गया।
3. वित्त विभाग आज्ञा क्रमांक एफ. 1 (31) वि.वि.(ग्रुप-2) दि. 23 जुलाई, 1974 द्वारा जोड़ा गया।
4. वित्त विभाग आज्ञा क्रमांक एफ. 1 (31) वि.वि.(ग्रुप-2) दि. 28.9.74 द्वारा जोड़ा गया।

वेतन वृद्धि स्वीकृति की शर्तें

1. सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि की देयता – जब तक राजस्थान असैनिक सेवा नियमों के सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि सक्षम अधिकारी द्वारा रोक नहीं दी जाये, तब तक सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी तथा लाभ माह की प्रथम दिनांक से देय होंगे। (नियम 29)

राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करने पर आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देय नहीं होगा। (प.13(76)कार्मिक/क- 1ग्रो.प्र./2011 13.1.2016)

2. महत्वपूर्ण निर्णय- (i) कर्मचारी महीने की प्रथम तारीख को अवकाश पर रहता है तो वेतन वृद्धि का लाभ अवकाश से लौटने पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से दिया जावेगा ।

3. अवधि जो वेतम वृद्धि में गिनी जाती है

निम्नांकित समस्त अवधि एक वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये सम्मिलित की जावेगी, जिस पर एक कर्मचारी अपना पदाधिकार रखता है अथवा रखता यदि उसे स्थगित नहीं किया जाता है–